

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना
पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या: 208/2018 दायर दिनांक 21.06.2018

वादी

1. श्रवणराम पुत्र नाथूराम उम्र 34 वर्ष जाति जाट निवासी कोलिया, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

प्रतिवादीगण

1. कुम्भाराम पुत्र जीवणराम उम्र 70 वर्ष
2. भूराराम पुत्र जीवणराम उम्र 67 वर्ष
3. नानूराम पुत्र जीवणराम उम्र 64 वर्ष
4. सुगनाराम पुत्र जीवणराम उम्र 61 वर्ष
5. मगनी देवी पत्नि नाथूराम उम्र 65 वर्ष
6. पप्पूराम पुत्र बिरमाराम उम्र 30 वर्ष
7. विनोद राम पुत्र बिरमाराम उम्र 26 वर्ष
8. गणेशी देवी पत्नि बिरमाराम उम्र 50 वर्ष समस्त जाति जाट निवासीगण कोलिया तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
9. प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (एस.बी.आई) शाखा कोलिया।
10. तहसीलदार डीडवाना।
11. ग्राम पंचायत, कोलिया।

बनाम्

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री ओम प्रकाश मोठ वकील, वादी।
2. श्री कमल मोठ वकील प्रतिवादीगण।

--: निर्णय :-

दिनांक 13.04.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 01 ता 08 की खातेदारी के खेत खसरा सं0 370 रकबा 30 बीघा, खसरा सं0 374 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा, खसरा सं0 820 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा, खसरा सं0 821 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा, खसरा सं0 851 रकबा 06 बिस्वा, खसरा सं0 896 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा, खसरा सं0 1014 रकबा 02 बिस्वा, खसरा सं0 1082 रकबा 17 बीघा 03 बिस्वा, खसरा सं0 1320 रकबा 27 बीघा 06 बिस्वा, खसरा सं0 1325 रकबा 24 बीघा 18 बिस्वा, खसरा सं0 1352 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा कुल खसरा 11 कुल रकबा 135 बीघा 13 बिस्वा वाके सरहद कोलिया में स्थित भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनांक 08.09.2021 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 294 दिनांक 21.03.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 294 दिनांक 21.03.2022 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।


सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)



—: आदेश :-

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद कोलिया खेत खसरा सं० 370 रकबा 30 बीघा, खसरा सं० 374 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा, खसरा सं० 820 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा, खसरा सं० 821 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा, खसरा सं० 851 रकबा 06 बिस्वा, खसरा सं० 896 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा, खसरा सं० 1014 रकबा 02 बिस्वा, खसरा सं० 1082 रकबा 17 बीघा 03 बिस्वा, खसरा सं० 1320 रकबा 27 बीघा 06 बिस्वा, खसरा सं० 1325 रकबा 24 बीघा 18 बिस्वा, खसरा सं० 1352 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा कुल खसरा 11 कुल रकबा 135 बीघा 13 बिस्वा भूमि का "वाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: : 294 दिनांक 21.03.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: : 294 दिनांक 21.03.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।


 (कार्तिकेय मीणा)
 सहायक कलेक्टर
 R.A.S.
 डीडवाना (नागौर)
 डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 13.04.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।


 (कार्तिकेय मीणा)
 सहायक कलेक्टर
 R.A.S.
 डीडवाना (नागौर)
 डीडवाना

डिक्री वमुकदमें इक्तादाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाक्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
वइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 208/2018

दायर दिनांक 21.06.2018

वादीगण

प्रतिवादीगण

1. श्रवणराम पुत्र नाथूराम उम्र 34 वर्ष जाति जाट निवासी कोलिया, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

बनाम्

1. कुम्भाराम पुत्र जीवणराम उम्र 70 वर्ष
2. भूराराम पुत्र जीवणराम उम्र 67 वर्ष
3. नानूराम पुत्र जीवणराम उम्र 64 वर्ष
4. सुगनाराम पुत्र जीवणराम उम्र 61 वर्ष
5. मगनी देवी पत्नि नाथूराम उम्र 65 वर्ष
6. पप्पूराम पुत्र विरमाराम उम्र 30 वर्ष
7. विनोद राम पुत्र विरमाराम उम्र 26 वर्ष
8. गणेशी देवी पत्नि विरमाराम उम्र 50 वर्ष समस्त जाति जाट निवासीगण कोलिया तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
9. प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ वीकानेर एण्ड जयपुर (एस.बी.आई) शाखा कोलिया।
10. तहसीलदार डीडवाना।
11. ग्राम पंचायत, कोलिया।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 88, 188 R.T.Act.


दिनांक 13.04.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री ओम प्रकाश मोठ वकील, वादी एवं श्री कमल मोठ वकील प्रतिवादीगण की तरफ से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद कोलिया खेत खसरा सं0 370 रकबा 30 बीघा, खसरा सं0 374 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा, खसरा सं0 820 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा, खसरा सं0 821 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा, खसरा सं0 851 रकबा 06 बिस्वा, खसरा सं0 896 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा, खसरा सं0 1014 रकबा 02 बिस्वा, खसरा सं0 1082 रकबा 17 बीघा 03 बिस्वा, खसरा सं0 1320 रकबा 27 बीघा 06 बिस्वा, खसरा सं0 1325 रकबा 24 बीघा 18 बिस्वा, खसरा सं0 1352 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा कुल खसरा 11 कुल रकबा 135 बीघा 13 बिस्वा भूमि का "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: : 294 दिनांक 21.03.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: : 294 दिनांक 21.03.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....

.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 13.04.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।


सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	-		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	-		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय			मुतफर्रिक		
हुक्मनामा					
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।


 सहायक कलेक्टर
 डीडवाना
 डीडवाना (नागौर)